

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०-.....215/ 2016.12.....

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
7.11.2022	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कारवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक <u>8.12.2022</u> को उपस्थापित करें।	 अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।
8.12.2022	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा० दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि- मौजा <u>सोवराह/5</u> थाना नं० <u>183</u> खाता सं० <u>43</u> प्लॉट सं० रकबा <u>380</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० <u>1</u> के पृष्ठ सं० <u>79</u> पर जमाबंदी रैयत <u>सोवराह</u> <u>सोवराह/5</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित	

मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12-22 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला नहीं कराया जा सका। चौकीदार राजेन्द्र पासवान के द्वारा लिखित रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि ग्रामीणों से पूछताछ करने पर बतलाया गया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि हल्का में उपलब्ध दस्तावेजों से मिलान कर एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.1.2023 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7-1-23 अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा पतेखार/5 मौजा नं० 183 खाता सं० 43 प्लॉट सं० 0 रकबा 3-500 किस्म — खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। उक्त व्यक्ति के नाम से मांग पंजी-2 कायम है। चौकीदार राजेन्द्र पासवान द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति संबंधित ग्राम में निवास नहीं करता है। इससे प्रतित होता है कि तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के फर्जी व्यक्ति के नाम से मांग कायम किया गया है। मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष — तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 79/1 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वा चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पंजाब अंचल हरियाणा

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म
रामप्रवेश साव पिता	जोसाईडीह	183	43	-	3.50	जमिनीय	-
सीता साव							

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- भूमि का वर्तमान स्वरूप फसली है।

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- जमाबंदी संधारण वर्ष पंजी II में दर्ज नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

जमाबंदी दर्ज करने वाले पदा. का नाम पंजी II में दर्ज नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबंधित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

पंजी II में जमाबंदी कायम किये जाने का आधार दर्ज नहीं है।

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वास्तव रिटर्न से

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से

(ग) वास्तव-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

अंचल अर्थात् पंजी
अनुमंडल पंजी
II से।

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :-

नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :-

नहीं

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुरांसा सहित :-

नहीं

प्रतिवेदित भूमि का मोगा 43 एकर दर्ज नहीं रहा 3.50 भूमि का मोगा राम प्रवेश साध, पिता-सीता साध के नाम से पेज क्र 79/2 पर दर्ज है। वह अभिलेख सं 215/2016-17 (भरतगढ़ द्वारा 4(h) BLR Act, 1950) के तहत संबंधित भूमि नोटिस तमिजा अंचल अर्थात् पंजी के पोस्टिहार से छी गई अने मरा बताया गया कि नोटिसमें अंकित नाम का कोई व्यक्ति अभी वहां पर निवास नहीं किया है उपग्राम के ग्रामिण जनता द्वारा उन बंटे बताई गई और नही ~~किसी~~ मोगाधारी का जमिन पर अभी हस्तक रहा है। मोगा पंजी में एकर दर्ज नहीं रहने के कारण एकरा अधिक पत्रा नहीं चल सका। भूमि गैर ग्राहक भागिक लाते ही हैं। अधिक मोगाधारी का हस्तक नहीं है और भूमि गैर ग्राहक लाते ही हैं। एसी स्थिति में मोगा अधिपति होता है। अतः प्रतिवेदित अनुरांसा कायम है भूतपूर्व जमींदार।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचपरात मतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, नहीं पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा किया जा सकता है।

म. 2
4

अंचल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, उत्तरपुर।

अनुमंडल पदा., उत्तरपुर।

अपर समाहर्ता, पलामू।

उपायुक्त पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- राम प्रवेश साव पिता सीता साव
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 1 पृष्ठ सं. 79 पर कायम है

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
गोसाई दी	182	43	—	3.50

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- जमाबंदी कायम वर्ष पंजी II में दर्ज नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- जोगलभा मलिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- दर्ज नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार जमाबंदी कायम किए जाने का आधार दर्ज नहीं है।
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदाबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
— भूपक कार्यालय में उपलब्ध पंजी-II है।

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
—	—	—	—

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

79/1

79/4

वाद अमिलेख सं० 215 / 20^{16/17} (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम रामप्रवेश खाक

पिता - बसीरा खाक

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा जौसाईवी थाना नं० 183 खाता सं० 43 खेसरा नं० — रकबा 350 से संबंधित आपके नाम से ह० नं० 154 के पंजी-II भाग 1 के पृष्ठ 29 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।




अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।